



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / गोपनीय / 2023 / ५०१२
प्रति,

दिनांक : - २० / ०१ / २०२३

प्राचार्य / विभागाध्यक्ष,
समस्त अध्ययनशालाएँ,
समस्त संबंधित महाविद्यालय,
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

विषय:-

वीक्षकीय कार्य हेतु वाहन भत्ता के संबंध में।

सन्दर्भ:-

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक ०३ / ११ / २०२२ के बिन्दु कं.-१९ निर्णय के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में वीक्षकीय कार्य हेतु अस्त्वा अत्यावश्यक होने पर अन्य संस्थाओं से आमंत्रित कर वीक्षकीय कार्य पूर्ण करवाया जाना आवश्यक हो जाता है। अतः परीक्षा केन्द्र के प्राध्यापक / अधिकारीके अतिरिक्त अन्य संस्था से वीक्षक आमंत्रित करने पर ऐसे आमंत्रित वीक्षकों हेतु निर्धारित पारिश्रमिक के अतिरिक्त 100/- रुपये प्रतिदिन वाहन भत्ता प्रदान किया जा सकेगा। निर्णय सत्र 2021-22 से लागू माना जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक / गोपनीय / 2023 / ५०१३
प्रतिलिपि—

दिनांक-२० / ०१ / २३

1. कुलपति एवं कुलसचिवजी के निज सहायक की ओर सूचनार्थ।
2. सहायक कुलसचिव / उपकुलसचिव, परीक्षा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
3. ऑनलाइन प्रभारी, कम्प्युटर सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही करने एवं इस उक्त सूचना दो विभिन्नों की बेक्साईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक